CA NO. 2066/17 / / सत्यप्रतिलिपि / / परि.दा.प्र.क्र.–83/2017 आदेश दिनांक–25.05.2017

न्यायालय–श्रीमान आदित्य जोशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार,जिला बलौदाबाजार छ.ग. [illegible]

# ORDER - SHEET

*THE COURT OF* Aditya Joshi

Chief Judicial Magistrate

Baloda-Bazar, (C.G.)

Cr. Case No. - 83/17

State of C. G. Vs. विकास साहू

| Date of Order or Proceeding | Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|---|---|---|

25/05/2017 परिवादी द्वारा श्री नीरज ठाकुर अधिवक्ता उपस्थित।

आरोपी सहित श्री आर0 के0 फेकर अधिवक्ता उपस्थित।

परिवादी की हाजिरी माफी आवेदन पेश। बाद विचार आवेदन स्वीकृत।

प्रकरण अपराध विवरण हेतु नियत हैं। आरोपी ने अपराध स्वेच्छया स्वीकार करना व्यक्त किया।

दि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैण्डर्ड, रायपुर की ओर से वैज्ञानिक मानवेन्द्र सिंह के द्वारा दि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैण्डर्ड एक्ट की धारा 33(1) के अधीन आरोपी/गण के विरूद्ध परिवाद पत्र पेश किया था।

अतः दि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैण्डर्ड एक्ट की धारा 33(1) का अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर आरोपी/गण ने स्वेच्छापूर्वक अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी/गण का अभिवाक उसके शब्दों में अंकित किया गया।

आरोपी/गण की अपराध स्वीकारोक्ति स्वेच्छापूर्वक एवं वास्तविक होने से अपराध प्रमाणित पाए जाने पर निर्णय धारा 260 दं0प्र0सं0 के तहत समरी शीट पर तैयार कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। आरोपी/गण को दि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैण्डर्ड एक्ट की धारा 33(1) के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं क्रमशः 25000/– रूपये (अक्षरी कुल पच्चीस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा करने में चूक होने पर क्रमशः 60 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं हैं।

परिणाम दर्ज दांडिक पंजी में दर्ज कर अभिलेख को अभिलेखागार भेजा जावें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बलौदा–बाजार, छ0ग0

पुनश्चः

आरोपी/गण ने आरोपित अर्थदण्ड की राशि 25000/– रूपये अदा किया, उसे रसीद क्रमांक 442803/51 दिया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बलौदा–बाजार, छ0ग0

सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग
कार्या.जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बलौदाबाजार (छ.ग.)